

## नीतिआयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक

### चर्चा में क्यों?

नीतिआयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2025 रपोर्ट में हरयाणा को 14वाँ स्थान दिया गया है, जो इसे 18 प्रमुख राज्यों में सबसे नचिले पाँच राज्यों में शामिल करता है।

- रैंकिंग में पाँच मापदंडों पर विचार किया जाता है: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विविकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।

### मुख्य बिंदु

- FHI का दायरा:
  - यह सूचकांक भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)**, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 18 प्रमुख राज्यों को कवर करता है।
  - यह वर्ष 2014-15 से वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- हरयाणा का प्रदर्शन:
- ऋण प्रोफाइल और चिताईँ:
  - हरयाणा का **ऋण-GSDP अनुपात** वर्ष 2018-19 में 26% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 33% हो गया, जो वर्ष 2022-23 में 31% पर स्थिर हो गया।
  - वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान में 9.4% की वृद्धि हुई, जिसमें ब्याज भुगतान-से-राजस्व प्राप्ति अनुपात 23% रहा।
  - ऋण सूचकांक पैरामीटर पर हरयाणा 15वें स्थान पर है, जो केवल केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब से आगे है।
- राजस्व एवं राजकोषीय घाटा:
  - हरयाणा का राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 में GSDP का 1.7% रहा, जो **15वें वित्तीय आयोग** की अनुशंसाओं को पूर्ण करने में वफिल रहा।
  - वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक **राजकोषीय घाटे** को मुख्य रूप से **सार्वजनिक ऋण** के माध्यम से वित्तीयोष्ठि किया गया, जिसमें बाजार उधार और केंद्र सरकार से ऋण शामिल हैं।
- व्यय की गुणवत्ता:
  - व्यय की गुणवत्ता के मामले में हरयाणा 24.8 अंक के साथ 16वें स्थान पर है, जो केवल पंजाब और केरल से आगे है।
  - GSDP की तुलना में **पूंजीगत व्यय** वृद्धि में वर्ष 2018-19 से गरिवट आई है, जो वर्ष 2022-23 में GSDP का केवल 1.4% रह गई है, जो बजट अनुमान से कम है।
  - कुल व्यय के हस्तिसे के रूप में पूंजीगत व्यय वर्ष 2018-19 में 16.4% से घटकर वर्ष 2022-23 में 9.7% हो गया।
- हरयाणा के लिये अनुशंसाएँ:
  - सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाना।
  - कर संग्रहण दक्षता में वृद्धि।
  - ऋण स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत राजकोषीय प्रबंधन ढाँचा स्थापित करना।
  - अल्पावधि और मध्यमावधि राजकोषीय स्थिरता में सुधार के लिये राजस्व आधार को व्यापक बनाना और व्यय को युक्तसिंगत बनाना।

# नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

## इतिहास- योजना आयोग

वर्ष 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

नीति आयोग की संरचना

### अध्यक्ष

प्रधानमंत्री



1 जनवरी, 2015  
को नीति आयोग  
द्वारा प्रतिस्थापित

शासी मंत्रिपरिषद्

CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (VTS)

### क्षेत्रीय परिषदें

आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं

सदस्य

पूर्णकालिक

### अंशकालिक सदस्य

अधिकतम 2, क्रमिक, महत्वपूर्ण संस्थानों से

पदेन सदस्य

अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित

### विशेष आमंत्रितकर्ता

अनुभवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाल अभ्यासकर्ता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)

### सचिवालय

आवश्यकतानुसार

## प्रमुख पहलें

- ④ सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- ④ अटल इनोवेशन मिशन
- ④ ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- ④ सुशासन सूचकांक
- ④ भारत नवाचार सूचकांक
- ④ आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- ④ 'मैथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

## उद्देश्य

- ④ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- ④ विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना (ग्रामीण स्तर पर)
- ④ आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान
- ④ प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- ④ ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- ④ अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना
- ④ अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (state-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

## नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

## प्रमुख पहलें

- ④ राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करने का अधिकार नहीं
- ④ केवल एक सलाहकार निकाय
- ④ निज़ी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं
- ④ संगठन का राजनीतिकरण
- ④ सकारात्मक बदलाव लाने के लिये अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव



Drishti IAS